नगर निगम भिलाई द्वारा संपत्ति कर बकायेदारों पर कुर्की की कार्यवाही लगातार जारी

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन भूमियों पर बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन संपत्तिकर के बकाया राशि की वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही लगातार जारी है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम अलग–अलग जोन क्षेत्र में जाकर भवनध्भूमि स्वामीयों से संपर्क कर बकाया संपत्तिकर राशि की जानकारी दे रहे हैं। जिनके द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा किया जा रहा है, उनको मौके पर जमा राशि का रसीद दिया जा रहा है । कुछ बकायेदारों द्वारा समय मांगा जा रहा है, उन्हे समय भी प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 23 सितम्बर 2025 को सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला, शरद दुबे, प्रसन्न तिवारी, बालकृष्ण नायडू द्वारा बकायादारों पर कुर्की की कार्यवाही कर 5,12,849.00 रूपये निगम कोष में जमा कराया गया है। बकाया राशि जमा नहीं करने वालो का संपत्ति पर कुर्की की कार्यवाही कर राशि वसूल किया जाएगा, यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगा।